



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.09.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.आकिल पुत्र कमरुद्दीन 2.कमरुद्दीन पुत्र कालू खान द्वारा वादिया की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादिया की जमीन पर कब्जा करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/329(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकिल पुत्र कमरुद्दीन निवासी- ऋषि कर्दम मार्ग चौहान बांगर थाना जाफराबाद दिल्ली, उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने व मेरे पिताजी ने प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादिया के प्लॉट पर कब्जा कर लिया था।

अभियुक्त का नाम व पता-

आकिल पुत्र कमरुद्दीन निवासी ऋषि कर्दम मार्ग चौहान बांगर थाना जाफराबाद दिल्ली, उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 29.09.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी मोटर साइकिल जिन्दल रोड डीएलएफ से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर अन्तर्गत धारा-303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी के वाहन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.09.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त अमित पुत्र रामरतन निवासी मंगल बाजार, मुकुंद विहार, थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई

मोटर साइकिल बरामद हुई है। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशे का आदि हूँ। मैं मोटर साइकिल या अन्य कोई सामान चोरी कर उन्हें कम दामों में बेच देता हूँ और पैसे कमाकर अपने नशे सम्बन्धी शौक पूरे करता हूँ। यह मोटरसाइकिल मैंने जिन्दल रोड डीएलएफ से चोरी की थी जिसे मैं बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

अमित पुत्र रामरतन निवासी मंगल बाजार, मुकुंद विहार, थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व से दिल्ली में लूट का 01 अभियोग तथा आयुध अधि० का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **30.09.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ०आई०आर०/एन०सी०आर०) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक **30.09.2026** को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
---------	-----	---

1.	नगर	68
2.	ट्रांस हिण्डन	85
3.	ग्रामीण	91
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		244

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

स्वाट/सर्विलांस/साइबर टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 407/2026 धारा 318(2)/338/336(3)/340(2) में वांछित धोखाधड़ी करके अस्तित्वहीन/फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 08 मुहरे (Stamp), 11 एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 02 कीपैड मोबाइल फोन, 07 चेक बुक, 17 ए0टी0एम0 कार्ड, 06 सिम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 वोटर कार्ड, दस्तावेज कुल 26 वर्क, 01 स्विफ्ट कार सिल्वर कलर रजि0नं0 DL5CU8691 बरामद।

कार्यवाही का विवरण - थाना इन्दिरापुरम पर दिनांक 17.05.2026 को वादिया श्रीमती इन्दिरा देवी शर्मा पता- कार्यालय उपायुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य वस्तु एवं सेवा कर, रेन्ज-सी-गाजियाबाद कमरा नं0 111 प्रथम तल, प्रशासनिक भवन, नियर अर्थला मैट्रो स्टेशन, मोहन नगर, गाजियाबाद की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0- 407/2026 धारा 318(2)/338/336(3)/340(2) पंजीकृत हुआ था विवेचना उ0नि0 हरिन्दर सिंह के सुपुर्द हुई थी। दौराने विवेचना मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29.09.2026 को रात्रि मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अटल चौक पर चैकिंग की जा रही थी तो मुखबिर ने आकर सूचना दी कि आपके जीएसटी चोरी के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त दिल्ली नम्बर की सिलवर कलर की कार स्विफ्ट ग्रीन बेल्ट पर गुरू द्वारा के पास रोड के किनारे सेक्टर 15 वसुन्धरा मे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के अंदर लाईट जला कर कुछ ए0टी0एम कार्डों व चेक बुक व कई मोबाइल फोनों से कुछ अपराध करने की योजना बना रहे है मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वाले ने एक बार की दविश देकर घेर घोटकर 04 अभियुक्तगण 1- कपिल चौधरी पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 एस 15 प्लाट न0 755 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खुड़लिया थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ 2- सचिन पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद 3-सुनील पाल पुत्र ब्रिजेश पाल नि0 म0न0 293 त्रिवेणी अपार्टमेंट, नीति खण्ड 1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम गढंखोवा थाना बड़ा मनहेरा तहसील विजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश 4- विनीत शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा नि0 ओल्ड बरात घर पप्पू डाक्टर के मकान के पास अमित त्यागी के मकान मे किराये पर मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम अचरू तहसील शिकारपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर को साथ समय करीब 00.47 बजे गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 08 मुहरे (Stamp), 11 एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 02 कीपैड मोबाइल फोन, 07 चेक बुक, 17 ए0टी0एम0 कार्ड, 06 सिम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 वोटर कार्ड,

दस्तावेज कुल 26 वर्क, 01 स्विफ्ट कार सिल्वर कलर रजि0नं0 DL5CU8691 बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 407/26 धारा 318(2),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत है आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों से बारी -बारी से पूछताछ की गई तो सर्वप्रथम अभियुक्त सचिन पुत्र तेजपाल नि0- ग्राम जावली थाना टीलामोड से पूछने पर बताया कि मैं कपिल चौधरी को 7-8 साल से जानता हूँ तथा दूध का काम करता हूँ कपिल के कहने पर ही मैं उसके साथ जीएसटी के काम में जुड़ गया था। कपिल चौधरी पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 एस 15 प्लॉट न0 755 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खुड़लिया थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ ने पूछने पर बताया कि मैं तीन वर्ष पहले किराये की गाड़ी चलाता था। दिसम्बर 2023 से मैं जीएसटी के काम आ गया। पढ़ाई के दौरान भी मैं सीए की तैयारी कर रहा था। मुझे जीएसटी के काम में दिलचस्पी हो गई, तथा अभियुक्त सुनील पाल ने बताया कि वह गार्ड की नौकरी करता है तथा विनीत शर्मा को 3-4 वर्षों से जानता है विनीत शर्मा ने मुझे कपिल चौधरी से मिलवाया था तभी से मैं कपिल चौधरी के साथ मिलकर जीएसटी का काम करता हूँ WORLD LINKS SERVICE VENTUR फर्म को कपिल चौधरी ने मेरे नाम से बनवाया था जिसके एवज में कपिल चौधरी ने मुझे 01 लाख रुपये भी दिये थे जो खर्च हो गये हैं तथा विनीत शर्मा ने बताया कि वह पंडिताई का काम करता है तथा कपिल चौधरी को 8-9 वर्षों से जानता है कपिल चौधरी ने ही उसे जीएसटी के काम पर लगाया था जो प्रति महीने मुझे 10-12 हजार रुपये देता था तथा कपिल चौधरी ने बताया कि मैंने अपने मिलने वाले सन्तोष सोनी को (मो0न0 8448457295, 8586921039) को फर्जी जीएसटी फर्म तैयार कर उन फर्जी जीएसटी फार्म को सन्तोष सोनी को भेज देता था। तथा सन्तोष सोनी कारोबारी लोगो को फर्जी बिल भेजता था जिससे 10—12 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हो जाता था जिसमें हमें 3 से 5 % कमीशन प्राप्त होता था जिसको हम सभी आपस में बांट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. सचिन पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष
2. कपिल चौधरी पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 एस 15 प्लॉट न0 755 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खुड़लिया थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ उम्र 37 वर्ष
3. सुनील पाल पुत्र ब्रिजेश पाल नि0 म0न0 293 त्रिवेणी अपार्टमेंट, नीति खण्ड 1 , इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम गढ़खोवा थाना बड़ा मनहेरा तहसील विजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश उम्र 37 वर्ष
4. विनीत शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा नि0 ओल्ड बरात घर पप्पू डाक्टर के मकान के पास अमित त्यागी के मकान में किराये पर मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम अचरू तहसील शिकारपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर उम्र 37 वर्ष

बरामदगी

- 1- 08 मुहरे (Stamp),
- 2- 11 एंड्रॉयड मोबाइल फोन
- 3- 02 कीपैड मोबाइल फोन

- 4- 07 चैक बुक
- 5- 17 ए0टी0एम0 कार्ड
- 6- 06 सिम कार्ड
- 7- 02 आधार कार्ड
- 8- 01 वोटर कार्ड
- 9- दस्तावेज कुल 26 वर्क
- 10- 01 स्विफ्ट कार सिल्वर कलर रजि0नं0 DL5CU8691

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी करके अस्तित्वहीन/फर्जी फर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट/सर्विलांस/साइबर ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विकशन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.09.2026 को थाना मसूरी, कमिश्नर गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 498ए/302 भादवि में अभियुक्त गुलशन पुत्र सगीर निवासी ग्राम शेरपुर खिचरा, थाना मसूरी गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), गाजियाबाद द्वारा धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक श्री अजय कुमार तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विकशन सेल' से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री गिराज भाटी द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त(पति) द्वारा वादी की बहन को प्रताड़ित करते हुए जलाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मसूरी पर दिनांक 26.03.2012 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

स्वाट/सर्विलांस/साइबर टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 407/2026 धारा 318(2)/338/336(3)/340(2) में वांछित धोखाधड़ी करके अस्तित्वहीन/फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 08 मुहरे (Stamp), 11 एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 02 कीपैड मोबाइल फोन, 07 चैक बुक, 17 ए0टी0एम0 कार्ड

, 06 सिम कार्ड , 02 आधार कार्ड , 01 वोटर कार्ड , दस्तावेज कुल 26 वर्क, 01 स्विफ्ट कार सिल्वर कलर रजि0नं0 DL5CU8691 बरामद ।

कार्यवाही का विवरण - थाना इन्दिरापुरम पर दिनांक 17.05.2026 को वादिया श्रीमती इन्दिरा देवी शर्मा पता- कार्यालय उपायुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य वस्तु एवं सेवा कर, रेन्ज-सी-गाजियाबाद कमरा नं0 111 प्रथम तल, प्रशासनिक भवन, नियर अर्थला मैट्रो स्टेशन, मोहन नगर, गाजियाबाद की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0-407/2026 धारा 318(2)/338/336(3)/340(2) पंजीकृत हुआ था विवेचना उ0नि0 हरिन्दर सिंह के सुपुर्द हुई थी। दौराने विवेचना मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29.09.2026 को रात्रि मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अटल चौक पर चैकिंग की जा रही थी तो मुखबिर ने आकर सूचना दी कि आपके जीएसटी चोरी के मुकदमे मे वाँछित अभियुक्त दिल्ली नम्बर की सिलवर कलर की कार स्विफ्ट ग्रीन बेल्ट पर गुरू द्वारा के पास रोड के किनारे सेक्टर 15 वसुन्धरा मे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के अंदर लाईट जला कर कुछ ए0टी0एम कार्डों व चेक बुक व कई मोबाइल फोनों से कुछ अपराध करने की योजना बना रहे है मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वाले ने एक बार की दविश देकर घेर घोटकर 04 अभियुक्तगण 1- कपिल चौधरी पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 एस 15 प्लाट न0 755 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खुड़लिया थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ 2- सचिन पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद 3-सुनील पाल पुत्र ब्रिजेश पाल नि0 म0न0 293 त्रिवेणी अपार्टमेंट, नीति खण्ड 1 , इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम गढंखोवा थाना बड़ा मनहेरा तहसील विजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश 4- विनीत शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा नि0 ओल्ड बरात घर पप्पू डाक्टर के मकान के पास अमित त्यागी के मकान मे किराये पर मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम अचरू तहसील शिकारपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर को साथ समय करीब 00.47 बजे गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 08 मुहरे (Stamp), 11 एड्रॉयड मोबाइल फोन व 02 कीपैड मोबाइलल फोन , 07 चैक बुक , 17 ए0टी0एम0 कार्ड , 06 सिम कार्ड , 02 आधार कार्ड , 01 वोटर कार्ड , दस्तावेज कुल 26 वर्क, 01 स्विफ्ट कार सिल्वर कलर रजि0नं0 DL5CU8691 बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 407/26 धारा 318(2),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत है आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों से बारी -बारी से पूछताछ की गई तो सर्वप्रथम अभियुक्त सचिन पुत्र तेजपाल नि0- ग्राम जावली थाना टीलामोड से पूछने पर बताया कि मैं कपिल चौधरी को 7-8 साल से जानता हू तथा दूध का काम करता हूँ कपिल के कहने पर ही मैं उसके साथ जीएसटी के काम मे जुड गया था। कपिल चौधरी पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 एस 15 प्लाट न0 755 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खुड़लिया थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ ने पूछने पर बताया कि मैं तीन वर्ष पहले किराये की गाड़ी चलाता था। दिसम्बर 2023 से मैं जीएसटी के काम आ गया। पढाई के दौरान भी मैं सीए की तैयारी कर रहा था। मुझे जीएसटी के काम मे दिलचस्पी हो गई, तथा अभियुक्त सुनील पाल ने बताया कि वह गार्ड की नौकरी करता है तथा विनीत शर्मा को 3-4 वर्षों से जानता है विनीत शर्मा ने मुझे कपिल चौधरी से मिलवाया था तभी से मैं कपिल चौधरी के साथ मिलकर जीएसटी का काम करता हूँ WORLD LINKS SERVICE VENTUR फर्म को कपिल चौधरी ने मेरे नाम से बनवाया था जिसके एवज मे कपिल चौधरी ने मुझे 01 लाख रुपये भी दिये थे जो खर्च हो गये है तथा विनीत शर्मा ने

बताया कि वह पंडिताई का काम करता है तथा कपिल चौधरी को 8-9 वर्षों से जानता है कपिल चौधरी ने ही उसे जीएसटी के काम पर लगाया था जो प्रति महीने मुझे 10-12 हजार रुपये देता था तथा कपिल चौधरी ने बताया कि मैंने अपने मिलने वाले सन्तोष सोनी को (मो0न0 8448457295, 8586921039) को फर्जी जीएसटी फर्म तैयार कर उन फर्जी जीएसटी फार्म को सन्तोष सोनी को भेज देता था। तथा सन्तोष सोनी कारोबारी लोगो को फर्जी बिल भेजता था जिससे 10—12 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हो जाता था जिसमें हमें 3 से 5 % कमीशन प्राप्त होता था जिसको हम सभी आपस में बांट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

5. सचिन पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष
6. कपिल चौधरी पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 एस 15 प्लाट न0 755 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खुड़लिया थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ उम्र 37 वर्ष
7. सुनील पाल पुत्र ब्रिजेश पाल नि0 म0न0 293 त्रिवेणी अपार्टमेंट, नीति खण्ड 1 , इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम गढंखोवा थाना बड़ा मनहेरा तहसील विजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश उम्र 37 वर्ष
8. विनीत शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा नि0 ओल्ड बरात घर पप्पू डाक्टर के मकान के पास अमित त्यागी के मकान मे किराये पर मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम अचरू तहसील शिकारपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर उम्र 37 वर्ष

बरामदगी

- 11- 08 मुहरे (Stamp),
- 12- 11 एड्रॉयड मोबाइल फोन
- 13- 02 कीपैड मोबाईल फोन
- 14- 07 चैक बुक
- 15- 17 ए0टी0एम0 कार्ड
- 16- 06 सिम कार्ड
- 17- 02 आधार कार्ड
- 18- 01 वोटर कार्ड
- 19- दस्तावेज कुल 26 वर्क
- 20- 01 स्विफ्ट कार सिल्वर कलर रजि0नं0 DL5CU8691

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी करके अस्तित्वहीन/फर्जी फर्म के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट/सर्विलाइन्स/साईबर ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।